रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222562
CG-DL-E-19102020-222562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
No. 526] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 648(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में गैर-साविधिक विभागीय कैंटीन में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, गैर-साविधिक विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होनाः** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचित के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचित के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूचित के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता –** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7.**व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. कैन्टीन परिचारक	07* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – (18000-56900)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणीः-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष

					तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। पदों के रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस दिन आवेदन पत्र मांगे गए थे।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	सीधे भर्ती के द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. निदेशक या उप-सचिव - अध्यक्ष 2. अवर सचिव - सदस्य 3. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अन्य मंत्रालय से) - सदस्य 4. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अनअनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –2 (19900-63200)	अचयन।	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणीः-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। पदों के रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में विज्ञापन होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस दिन आवेदन पद मांगे गए थे।	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से खान पान में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। (ख) एक वर्ष का अनुभव (ग) स्वच्छता आदि बनाए रखने सहित पाक-कला में व्यवसायिक कौशल परीक्षण, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित अभ्यर्थी का उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए की जाएगी। टिप्पणीः- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **सक्षम प्राधिकारी** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दिशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर **सक्षम प्राधिकारी** की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, तथा प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शून्य।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। [प्रोन्नति की भर्ती के ढंग के अधीन भर्ती की प्रतिशतता, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, भर्ती, श्रेणी और पोषक प्रवर्ग में पदों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी।]

(11)
प्रोन्नति : ऐसा कैन्टीन परिचारक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-I में कम से कम तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो। स्वच्छता आदि बनाए रखने सहित पाक-कला से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित व्यावसायिक कौशल परीक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पणी :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। [प्रोन्नति की भर्ती के ढंग के अधीन भर्ती की प्रतिशतता, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, भर्ती, श्रेणी और पोषक प्रवर्ग में पदों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी।] **टिप्पणी 1.** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वरा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2. :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 3 –** स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं प्रतिनियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास होना चाहिए। **प्रतिनियुक्तिः-** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीः- (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सादृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-I में तीन वर्षों की नियमित सेवा और हलवाई-सह-रसोइया के सहायक के रूप में एक वर्ष की सेवा किया हो। (iii) जो खान-पान में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा रखता हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. निदेशक या उप-सचिव - अध्यक्ष 2. अवर सचिव - सदस्य 3. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अन्य मंत्रालय से) - सदस्य 4. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. हलवाई-सह-रसोइया	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –3 (21700-69100)	अचयन।	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणीः-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। पदों के रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में विज्ञापन होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस दिन आवेदन पद मांगे गए थे।	(क) खान-पान में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा पास हों। (ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें सरकारी विभाग या उपक्रम में दो वर्ष के अनुभव है, उन्हें अधिमान दिया जाएगा। (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए खाना बनाने में व्यावसायिक कौशल परीक्षण किया जाएगा। **टिप्पणीः-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **सक्षम प्राधिकारी** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दिशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर **सक्षम प्राधिकारी** की यह राय है कि

						उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। [प्रोन्नति की भर्ती के ढंग के अधीन भर्ती की प्रतिशतता, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, भर्ती, श्रेणी और पोषक प्रवर्ग में पदों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी।]

(11)

प्रतिनियुक्ति : ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में सहायक हलवाई-सह-रसोइया में कम से कम तीन वर्षो की सेवा की हो।

टिप्पणी 1. : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार में ऐसे अधिकारी

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, या

(ii) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में सहायक हलवाई-सह-रसोइया के रूप में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

(ख) जो निम्नलिखित योग्यताएं और अर्हताएं रखता हो:-

(क) मान्यताप्राप्त बोर्ड संस्थान से खान-पान में डिप्लोमा या 10वीं कक्षा पास का प्रमाण-पत्र, और

(ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में दो वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा।

टिप्पणी 1. : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वरा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2. : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3 – स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. निदेशक या उप-सचिव - अध्यक्ष 2. अवर सचिव - सदस्य 3. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अन्य मंत्रालय से) - सदस्य 4. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. लिपिक	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200)	अचयन।	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणीः-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से वाणिज्य के साथ 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण हो। (ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति। (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 के डीपीएस/9000 के डीपीएच के समरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट) **टिप्पणी-I :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के

					पदों के रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में विज्ञापन होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस दिन आवेदन पद मांगे गए थे।	विवेकानुसार की जा सकती है। **टिप्पणी-II :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **सक्षम प्राधिकारी** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दिशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर **सक्षम प्राधिकारी** की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शून्य।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। [प्रोन्नति की भर्ती के ढंग के अधीन भर्ती की प्रतिशतता, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, भर्ती, श्रेणी और पोषक प्रवर्ग में पदों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी।]

(11)
प्रोन्नति : ऐसे कैन्टीन सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-I में कम से कम तीन वर्षों की नियमित सेवा किए हो। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से दो सप्ताह का संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल में प्रशिक्षण पूरा किया हो और कैन्टीन सहायक के लिए आईएसटीएम से लिपिक में प्रोन्नति के लिए लेखा व्यवहार वांछनीय होगा। **टिप्पणी 1. :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी- : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पणी : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के , जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हे उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. निदेशक या उप-सचिव - अध्यक्ष 2. अवर सचिव - सदस्य 3. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अन्य मंत्रालय से) - सदस्य 4. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सहायक प्रबंधक-सह-भंडार रक्षक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', राजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रूपए) **टिप्पणीः-** वह कैन्टीन में ड्यूटी करने के	अचयन।	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	(क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से वाणिज्य में स्नातक; या किताबों के रख-रखाव और भंडार रक्षक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक हो। (ख) अनुभवः सरकारी विभाग या

			लिए प्रति मास 250 रूपए का विशेष भत्ता भी प्राप्त करेगा।		**टिप्पणीः-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। पदों के रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में विज्ञापन होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस दिन आवेदन पद मांगे गए थे।	उपक्रमों में भंडारण या लेखाओं के रख-रखाव क तीन वर्ष का अनुभव। (ग) **टिप्पणी-I :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी-2 :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **सक्षम प्राधिकारी** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दिशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर **सक्षम प्राधिकारी** की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शून्य।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। [प्रोन्नति की भर्ती के ढंग के अधीन भर्ती की प्रतिशतता, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, भर्ती, श्रेणी और पोषक प्रवर्ग में पदों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी।]

(11)
प्रोन्नतिः (i) ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में कम से कम आठ साल की नियमित सेवा किया हो; (ii) ऐसे हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें से भंडारण या लेखा के रख-रखाव में तीन वर्ष का अनुभव हो और स्तंभ(7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हों। **टिप्पणी 1. :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः-** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जोः- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पर धारण करता हो; (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित आधार पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, (iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो। (ख) सरकारी विभाग या उपक्रमों में भंडारण या लेखाओं के रख-रखाव का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1. :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2. :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. निदेशक या उप-सचिव - अध्यक्ष 2. अवर सचिव - सदस्य 3. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अन्य मंत्रालय से) - सदस्य 4. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12034/07/2018-स्थाप.-I]

सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Posts in the Non-Statutory Departmental Canteen in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment, Non-Statutory Departmental Canteen, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix or pay scale.-** The number of post, its classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Powers to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection Post or non-selection Post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Canteen Attendant	07* (2019) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Ministerial.	Level-1 (Rs.18000– 56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-25 years, (relaxation of age limit up to 40 years for Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.	Matriculation or equivalent.	Not Applicable.	Two years.	Direct Recruitment.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which applications have been called for.				

In case of recruitment by promotion/deputation, grades from which promotion/deputation to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of- 1. Director or Deputy Secretary - Chairman; 2. Under Secretary - Member; 3. Under Secretary or Section Officer (from other Ministry) - Member 4. Under Secretary or Section Officer (Scheduled Caste or Scheduled Tribe) - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Halwai–cum–cook.	01*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900- 63200)	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-25 years (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which applications have been called for.	(a) 10^{th} Class Pass with a certificate or diploma in catering by a recognised Board or Institute. (b) Experience- One Year (c) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc., shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. **Note:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any	No.	Two years for direct recruits, NIL for promotees.	Promotion failing which by deputation and failing both by Direct Recruitment. [Percentage of recruitment under the mode of promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment shall be decided based on the number of posts in the grade and the feeder grades.]

	stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Canteen Attendant in the Level-1 with at least three years regular service. A Trade test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government:- (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) Canteen Attendant in the Level-1 with at least three years regular service and having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook. (iii) Possessing certificate or diploma in catering. **Note1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note2:** The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary - Chairman; 2. Under Secretary - Member; 3. Under Secretary or Section Officer - Member; (from other Ministry) 4. Under Secretary or Section Officer - Member. (Scheduled Caste or Scheduled Tribe)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note3: The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Halwai-cum-cook.	01*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-25 years (Relaxable for Government servants) upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspapers the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which applications have been called for.	(a) 10th Class Pass with a certificate or diploma in catering; (b) Experience- Two years in a Government Department or Undertaking preferred. (c) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess the suitability of the candidate. **Note-**The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No.	Two years.	Promotion failing which by deputation and failing both by Direct Recruitment through Staff Selection Commission. [Percentage of recruitment under the mode of promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment shall be decided based on the number of posts in the grade and the feeder grades.]

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Halwai-cum-cook with at least three years regular service in the Level-2. **Note1:-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government:- a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary - Chairman; 2. Under Secretary - Member; 3. Under Secretary or Section Officer – Member; (from other Ministry) 4. Under Secretary or Section Officer - Member (Scheduled Caste or Scheduled Tribe)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(ii) Assistant Halwai-cum-Cook with at least three years regular service in the Level-2 and, b) Possessing the qualifications and experience:- (a) 10th class pass with a certificate or diploma in catering by recognised Board or Institute; and (b) **Experience-** Two years in a Government Department or Undertaking preferred. **Note1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note2:** The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note3:** The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Clerk.	02* (2019) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service (Group 'C'), Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-25 years (Relaxable for Government servants) upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government. **Note:**The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspapers the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which applications have been called for.	(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce from a recognised Board; (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression Per Hour or 9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word) **Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified. **Note2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons	No.	Two years for Direct Recruits, NIL for promotees.	Promotion failing which by Direct Recruitment through Staff Selection Commission. [Percentage of Recruitment under mode of promotion failing which by DR shall be decided based on number of post in the grade and feeder grade.]

	to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Canteen Attendant with at least three years regular service in the Level-1. A two week training on Organisational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk form ISTM or any other institute recognised by Government of India or State Government. **Note1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary - Chairman; 2. Under Secretary - Member; 3. Under Secretary or Section Officer - Member (from other Ministry) 4. Under Secretary or Section Officer - Member (Scheduled Caste or Scheduled Tribe)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Assistant Manage-cum-Store Keeper.	01* (2019) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service (Group 'C'), Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100). **Note:** He will also draw Special Allowance of Rs.250/- per month for attending to duties in Canteen.	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-25 years (Relaxable for Government servants) upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government. **Note:**The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the	(a) B.Com from a recognised University; or Graduate in any discipline form a recognised university with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping. (b) **Experience:-** Three years in a Government Department or	No.	Two years for Direct Recruits, NIL for promotees.	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment through Staff Selection Commission.

Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspapers the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which applications have been called for.	Undertaking in handling Stores or Accounts. **Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified. **Note2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			[Percentage of recruitment under the mode of promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment shall be decided based on the number of posts in the grade and the feeder grades.]

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Clerks with at least eight years regular service in the Level-2; (ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in the Level-3 with two years' experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruit under column (7). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government: – a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) with at least eight years regular service in the Level-2; (iii) possessing educational qualifications as prescribed for direct recruit under column (7); and b) three years' experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary- Chairman; 2. Under Secretary- Member; 3. Under Secretary or Section Officer - Member (from other Ministry) 4. Under Secretary or Section Officer- Member (Scheduled Caste or Scheduled Tribe)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 1:-The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note2:** The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No. A-12034/07/2018-Estt.-I]

SURENDRA SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.10.19 23:25:56 +05'30'